

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17012020-215530 CG-DL-E-17012020-215530

> असाधारण EXTRAORDINARY भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4 प्राधिकार से प्रकाशित

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 29] No. 29] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 16, 2020/पौष 26, 1941 NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 16, 2020/PAUSHA 26, 1941

भारतीय रिजर्व बैंक

(वित्तीय बाज़ार विनियमन विभाग)

(केंद्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुंबई, 07 जनवरी, 2020

विदेशी मुद्रा प्रबंधन (अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र) (संशोधन) विनियमावली, 2020

सं. फेमा. 397/आरबी-2020.—विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा प्रबंधन (अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र) विनियमावली, 2015 (अधिसूचना सं. फेमा.339/2015-आरबी दिनांकित 02 मार्च 2015), में निम्नलिखित संशोधन करता है, यथा:-

1. लघु शीर्षक और प्रवर्तन-

- (i) इन विनियमों को विदेशी मुद्रा प्रबंधन (अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र) (संशोधन) विनियमावली, 2020 कहा जाएगा।
- (ii) ये विनियम शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।

335 GI/2020 (1)

2. संशोधन- मूल विनियम 4 में निम्नलिखित परंतुक जोड़ा गया है:

"बशर्ते, भारतीय रिज़र्व बैंक, सामान्य अथवा विशेष अनुमित से, किसी वित्तीय संस्था अथवा किसी वित्तीय संस्था की किसी शाखा को ऐसे व्यक्ति, निवासी अथवा अन्यत्र जैसा निर्धारित किया जाए, के साथ भारतीय रुपये में ऐसा कारोबार करने की अनुमित प्रदान कर सकता है।"

टी. रबी शंकर, कार्यपालक निदेशक [विज्ञापन III/4/असा./415/19]

पाद टिप्पणी- मूल विनियमावली का प्रकाशन 03 मार्च 2015 को भारत के राजपत्र के भाग II, धारा 3, उपधारा (i) में जीएसआर सं. 18(अ) के द्वारा हुआ था।

RESERVE BANK OF INDIA

(Financial Markets Regulation Department)

(Central Office)

NOTIFICATION

Mumbai, the 07th January, 2020

Foreign Exchange Management (International Financial Services Centre) (Amendment) Regulations, 2020

No. FEMA. 397/RB-2020.—In exercise of the powers conferred by section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank hereby makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (International Financial Services Centre) Regulations, 2015 (Notification No. FEMA.339/2015-RB dated March 2, 2015), namely:-

1. Short title and commencement-

- i. These regulations may be called the Foreign Exchange Management (International Financial Services Centre) (Amendment) Regulations, 2020.
- ii. These regulations shall come into force with effect from the date of their publication in the Official Gazette.
- **2. Amendment** The following proviso be added to principal regulation 4:

"Provided that, Reserve Bank may, through a general or specific permission, allow a financial institution or a branch of a financial institution to conduct such business in Indian Rupee with such persons, whether resident or otherwise as it may determine."

T. RABI SANKAR, Executive Director [ADVT.-III/4/Exty./415/19]

Footnote.— The principal regulations were published in the Gazette of India – Extraordinary – Part-II, Section 3, Sub-Section (i) on March 03, 2015 vide G.S.R. No. 218(E).